JE(C)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 5 मार्च, 2007

सा.का.नि. 195(अ).–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तम्भ एवं दीपपोत विभाग (अराजपत्रित तकनीकी पदों) भर्ती नियम, 1978 का जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) और कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय में कनिष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) पदों पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय कनिष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) समूह "ग" भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू करना** :—यह नियम संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्धारित पदों के संबंध में लागू होगा।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इस उपबंध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि** :–उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्टता के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता** :–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपाबद्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आयु-सीमा में छूट, आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	38* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपये 5000-150-8000 **टिप्पणी** :-पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50% स्वीकृत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर रुपये 5000-150-8000 के वेतन-मान में नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा के सम्पूर्ण करने पर रुपये 5500-175-9000 का उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु-सीमा वर्ष 21 से 32 के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में 40 वर्ष तक की शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी 1** :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पणी 2** :-यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति के लिए लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तीन वर्षों के अनुभव सहित अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 1. महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय —अध्यक्ष 2. निदेशक (सिविल) दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय —सदस्य 3. एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	3* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपये 5000-150-8000 **टिप्पणी :—** पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50% स्वीकृत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर रुपये 5000-150-8000 के वेतनमान में नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा के सम्पूर्ण करने पर रुपये 5500-175-9000 का उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु-सीमा वर्ष 21 से वर्ष 32 के बीच। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में 40 वर्ष तक की छूट।) **टिप्पणी : 1**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7
टिप्पणी : 2—यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तीन वर्षों के अनुभव सहित अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 1. महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय —अध्यक्ष 2. निदेशक (इलै.) दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय —सदस्य 3. एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो —सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
3. कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	1* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपये 5000-150-8000 **टिप्पणी :**—पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के के अनुसार 50% स्वीकृति पदों को ज्येष्ठता के आधार पर रुपये 5000-150-8000 के वेतन-मान में नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा के सम्पूर्ण करने पर रुपये 5500-175-9000 का उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु-सीमा वर्ष 21 से वर्ष 32 के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में 40 वर्ष तक की छूट) **टिप्पणी :** 1—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप,

	(7)
	के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पणी 2 :–यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तीन वर्षों के अनुभव सहित अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं

(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 1. महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय –अध्यक्ष 2. निदेशक (इलै.), दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय –सदस्य 3. एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो –सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 3/1/2006-प्र. I]

मनमोहन सिंह सुमन, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Noida, the 5th March, 2007

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted technical posts), Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the posts of Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical) and Junior Engineer (Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) Group "C" posts Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed thereto.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classi-fication	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C. S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Junior Engineer (Civil)	38* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150 8000 **Note.**—As per the recommendations of the Fifth Central Pay Commission 50% of the sanctioned posts on seniority basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175-9000 on completion of three years of regular service in the scale of Rs. 5000-150-8000.	Not applicable	Not applicable	Between 21 and 32 years (relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and

7
Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2.**—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Degree in Civil Engineering Or Diploma in Civil Engineering with three years experience Or Equivalent qualification	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C', Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (1) Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman (2) Director (Civil), Directorate General of Lighthouses and Lightships —Member (3) An outside member not below the rank of Under Secretary —Member	Not applicable

862 GI/07-3

1	2	3	4	5	6	7
2. Junior Engineer (Electrical)	3* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000 **Note.**—As per the recommendations of the Fifth Central Pay Commission 50% of the sanctioned post on seniority basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175-9000 on completion of three years of regular service in the scale of Rs. 5000-150-8000.	Not applicable	Not applicable	Between 21 and 32 years (Relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2.**—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Degree in Electrical Engineering Or Diploma in Electrical Engineering with three years experience Or Equivalent qualification	Not applicable	Two years

11	12
Direct recruitment	Not applicable

13	14
Group 'C', Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (1) Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman (2) Director (Electronics), Directorate General of Lighthouses and Lightships —Member (3) An outside member not below the rank of Under Secretary —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Junior Engineer (Mechanical)	1* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000 **Note.**—As per the recommendations of the Fifth Central Pay Commission 50% of the sanctioned posts on seniority basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175-9000 on completion of three years of regular service in the scale of Rs. 5000-150-8000.	Not applicable	Not applicable	Between 21 and 32 years (relaxable up to 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul or Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2.**—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Degree in Mechanical Engineering Or Diploma in Mechanical Engineering with three years experience Or Equivalent qualification	Not applicable	Two years

11	12
Direct recruitment	Not applicable

13		14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :		Not applicable
(1) Director General of Lighthouses and Lightships	—Chairman	
(2) Director (Electronics), Directorate General of Lighthouses and Lightships	—Member	
(3) An outside member not below the rank of Under Secretary	—Member	

[F. No. 3/1/2006-Admn-I]

M. M. SINGH SUMAN, Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.